रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2006/चैत्र 28, 1928
No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2006/CHAITRA 28, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 217(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 67 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों के संकर्म के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) किसी भवन या भूमि के "अधिभोगी' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस भवन या भूमि के विधिपूर्ण अधिभोग में है ।

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संकर्म का किया जाना- (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी -

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी की पूर्व सहमति से किसी भवन में, उसमें होकर या उसके सामने या किसी भूमि पर, उसके ऊपर या उसके नीचे जहां पर, जिसके ऊपर या जिसके नीचे कोई विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले विधिपूर्वक नहीं बिछाई गई है

या नहीं लगाई गई है वहां पर कोई विद्युत प्रदाय लाइन या अन्य संकर्म कर सकेगा, बिछा सकेगा या लगा सकेगा ;

(ख) शिरोपरि लाइन का कोई अवलंब स्थिर कर सकेगा या किसी भवन या भूमि पर किसी शिरोपरि लाइन के किसी अवलंब की स्थिति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित रोक या थून स्थिर कर सकेगा या इस प्रकार स्थिर किए गए ऐसे अवलंब में परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु उस दशा में जहां इस नियम के अधीन किए जाने वाले संकर्म के संबंध में भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी आक्षेप करता है वहां अनुज्ञप्तिधारी संकर्म करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञा प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यदि किसी भी समय किसी ऐसे भवन या भूमि-जिसपर कोई संकर्म किया गया है या किसी शिरोपरि लाइन का कोई अवलंब, रोक या थूनी स्थिर की गई है, का स्वामी या अधिभोगी पर्याप्त कारण दर्शित करता है तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी किसी ऐसे संकर्म, अवलंब, रोक या थूनी को हटाए जाने या परिवर्तन करने के लिए लिखित रूप में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश करते समय यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, संबद्ध व्यक्ति, यदि कोई हो, के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रतिकर की या वार्षिक किराए की या दोनों की रकम नियत करेगा, जो उसकी राय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामी या अधिभोगी को संदत्त की जानी चाहिए ।

(3) उपनियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश समुचित आयोग द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा ।

(4) इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 164 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. मार्ग, रेलपथ, ट्रामपथ, नहर या जलमार्ग को प्रभावित करने वाला संकर्म :- (1) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों में से किसी शक्ति के प्रयोग में किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन के संबंध में जिसमें किसी मार्ग, किसी मार्ग का भाग, रेलपथ, ट्रामपथ, नहर या जलमार्ग में, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके साथ या उसके आर-पार कोई संकर्म किया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी

यथास्थिति मार्ग या किसी मार्ग के भाग की मरम्मत के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मरम्मत करने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) पर या रेलपथ, ट्रामपथ, नहर या जलमार्ग से संबंधित संकर्म के लिए तत्समय हकदार व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संकर्म प्राधिकारी" कहा गया है) पर संकर्म प्रारंभ करने के कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप में सूचना की तामील करेगा जिसमें किसी सेक्शन और उसके रेखाचित्र के साथ प्रस्तावित संकर्म का वर्णन किया जाएगा जो प्रस्तावित संकर्म के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर होगा और किसी भी दशा में उर्ध्वाधर एक इंच से आठ इंच और आड़े रूप में सोलह इंच से मील से लघुतर नहीं होगा और वह रीति जिसमें और वह समय जिसपर किसी विद्यमान संकर्म में हस्तक्षेप या परिवर्तन करना प्रस्तावित है को संसूचित करेगा और यथास्थिति मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किए जाने पर संकर्म के संबंध में समय-समय पर ऐसी और सूचना देगा जिसकी वह वांछा करे ।

(2) यदि मरम्मत करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करता है कि वह अननुमोदन के कारण देते हुए ऐसे संकर्म, सेक्शन या रेखाचित्र को अननुमोदित करता है या संशोधन के अधीन रहते हुए उसका अनुमोदन करता है तो अनुज्ञप्तिधारी जब तक कि किसी करार द्वारा तय नहीं हो जाता है ऐसी संसूचना के प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर समुचित आयोग को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय, मरम्मत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी कार्रवाई के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम होगा ।

(3) यदि मरम्मत करने वाला प्राधिकारी सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को उसके अनुमोदन या अननुमोदन की लिखित रूप में सूचना देने में असफल रहता है तो संकर्म, सेक्शन और रेखाचित्र को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी मरम्मत करने वाले प्राधिकारी को लिखित में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना देने के पश्चात् और उपनियम (1) के अधीन तामील कराई गई सूचना सेक्शन और रेखाचित्र के अनुसार संकर्म को आगे चालू कर सकेगा ;

(4) यदि संकर्म प्राधिकारी ऐसे संकर्म, सेक्शन या रेखाचित्र को अननुमोदन के लिए कारण देते हुए अननुमोदित करता है, या संशोधन के अधीन रहते हुए उसका अनुमोदन करता है तो वह नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी पर एक अध्यपेक्षा की तामील कर सकेगा जिसमें यह मांग की जा सकेगी कि संकर्म या प्रतिकर या

उसके संबंध में अन्यों के लिए संकर्म प्राधिकारी की बाध्याताओं के संबंध में कोई प्रश्न जब तक कि करार द्वारा तय नहीं हो जाता है, समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(5) जहां उपनियम (4) के अधीन उपबंधित कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी पर संकर्म प्राधिकारी द्वारा कोई अध्यपेक्षा तामील नहीं की गई है वहां संकर्म प्राधिकारी द्वारा संकर्म, सेक्शन और रेखाचित्र को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और उस दशा में या जहां समुचित आयोग द्वारा मामले को अवधारित किए जाने के पश्चात् संकर्म, प्रतिकर के संदाय या सुनिश्चित किए जाने पर सूचना और ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए सेक्शन और रेखाचित्र के अनुसार ऐसे निष्पादित किया जा सकेगा मानो समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया गया है या पक्षकारों के बीच तयपाई द्वारा किया गया है :

स्पष्टीकरण :- उपनियम (1) से (5) में, "संकर्म" शब्द के अंतर्गत किसी रेलपथ में, उसके नीचे , उसके ऊपर, उसके साथ या उसके आर-पार कोई सेवा लाइन है चाहे ऐसी लाइन तुरंत जोड़ी गई है या किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन से तुरंत जोड़ा जाना आशयित है किन्तु इसके अंतर्गत इस प्रकार जोड़ी गई या किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन से इस प्रकार जोड़े जाने के लिए आशयित कोई अन्य सेवा लाइन नहीं आती है या संकर्म जिसके मरम्मत नवीकरण या ऐसे विद्यमान संकर्म जिसके स्वरूप और स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है का संशोधन सम्मिलित है ।

(6) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में जिसमें किसी वितरण करने वाली मुख्य लाइन में तुरंत जोड़ी गई या तुरंत जोड़े जाने के लिए आशयित किसी भूमिगत सेवा लाइन का बिछाया जाना सम्मिलित है वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संकर्म को निष्पादित करने के अपने आशय की लिखित रूप में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना यथास्थिति मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म करने वाले प्राधिकारी को देगा ।

(7) जहां निष्पादित किए जाने वाले संकर्म में जिसमें विद्यमान संकर्म जिसके स्वरूप या स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है की मरम्मत, नवीकरण या संशोधन सम्मिलित है वहां अनुज्ञप्तिधारी आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर ऐसे संकर्म को निष्पादित करने के अपने आशय की लिखित में कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना यथास्थिति मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी को देगा और ऐसी सूचना की समाप्ति पर ऐसा संकर्म तुरंत प्रारंभ किया जाएगा और सभी युक्तियुक्त प्रेषण के साथ किया जाएगा और यदि संभव हो तो जब तक पूरा नहीं हो जाता है दिन और रात दोनों में चलता रहेगा ।

5. आपातस्थिति के दौरान मरम्मत और संकर्म - अनुज्ञप्तिधारी किसी भूमिगत विद्युत प्रदाय लाइन के फेल हो जाने के कारण आपातस्थिति की दशा में, ऐसा करने के लिए अपने आशय की यथास्थिति मरम्मत करने वाले प्राधिकारी या संकर्म प्राधिकारी को सूचना देने के पश्चात् नियम 4 के उपबंधों का पालन किए बिना एक शिरोपरि लाइन लगा सकेगा :

परंतु ऐसी शिरोपरि लाइन का उपयोग केवल भूमिगत विद्युत प्रदाय लाइन के नुक्स के ठीक होने तक ही किया जाएगा और किसी भी दशा में (जब तक कि यथास्थिति मरम्मत करने वाले प्राधिकारी, संकर्म प्राधिकारी या अधिभोगी की लिखित सहमति नहीं होती है) छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा, और जैसे ही ऐसा नुक्स दूर हो जाता है शीघ्र ही हटा दी जाएगी ।

6. सीवर, पाइपों या अन्य विद्युत लाइनों या संकर्म के निकट अन्य संकर्म करने के लिए प्रक्रिया:- (1) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में "प्रचालक" कहा गया है) --

(क) जहां अनुज्ञप्तिधारी से किन्हीं नई विद्युत प्रदाय लाइनों को बिछाने के लिए या अन्य संकर्मों के लिए कोई खाई खोदने या कुंड बनाने की अपेक्षा की जाती है जिसके निकट राज्य सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन कोई सीवर, नाली, जलमार्ग या संकर्म है या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति का कोई पाइप, साईफन, विद्युत प्रदाय लाइन या अन्य संकर्म विधिपूर्वक लगाया गया है, या

(ख) जहां सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से किन्हीं नए पाइपों को बिछाए जाने या संनिर्मित किए जाने या अन्य संकर्मों के लिए कोई खाई की खुदाई करने या कुंड बनाने की अपेक्षा की जाती है जिसके निकट किसी अनुज्ञप्तिधारी की कोई विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म विधिपूर्वक लगाया गया है ;

वहां जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों के बीच अन्यथा तयपाई नहीं हो जाती है या अचानक आपात स्थिति की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को या ऐसे सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को या अनुज्ञप्तिधारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में "स्वामी" कहा गया है) खाई की खुदाई करने या कुंडी बनाना प्रारंभ करने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व लिखित रूप में सूचना देगा और स्वामी को संकर्म के निष्पादन के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा जिसे स्वामी के युक्तियुक्त समाधानप्रद रूप में निष्पादित किया जाएगा ।

(2) जहां प्रचालक खुदाई करना आवश्यक समझता है किंतु किसी पाइप, विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है वहां वह संकर्म के निष्पादन के दौरान उसकी स्थिति को बनाए रखेगा और समापन के पूर्व जहां इस प्रकार खुदाई की गई है वहां एक यथोचित और उचित आधारशिला की व्यवस्था करेगा ।

(3) जहां प्रचालक (जो अनुज्ञप्तिधारी है) कोई ऐसी विद्युत प्रदाय लाइन के आरपार बिछाता है या जिससे कि किन्हीं पाइपों, लाइनों या सेवा पाइपों या सेवा लाइनों को छूने की दायी होती है जो किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से संबंधित है या अधिनियम के अधीन प्रदाय करने वाले, पारेषण करने वाले या ऊर्जा का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित है, वहां वह ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति या अधिनियम की धारा 65 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी विनियमों के अनुसार के सिवाय अपनी विद्युत प्रदाय लाइनों को इस प्रकार नहीं बिछाएगा जिससे कि किन्हीं ऐसे पाइपों, लाइनों या सेवा पाइपों या सेवा लाइनों से स्पर्श हो सके ।

(4) जहां प्रचालक इस नियम के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है वहां वह उसके कारण से उपगत कोई हानि या नुकसानी के लिए संपूर्ण प्रतिकर का संदाय करेगा ।

(5) जहां इस नियम के अधीन कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है वहां मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(6) जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई स्थानीय प्राधिकारी है वहां इस नियम के निर्देश स्थानीय प्राधिकारी को और उसके नियंत्रणाधीन सीवरों, नालियों, जलमार्गों या संकर्मों को लागू नहीं होंगे ।

7. पाइपों, विद्युत लाइन, आदि की स्थिति में परिवर्तन :- (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी पाइप (जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के मुख्य सीवर का भाग रूप नहीं है) की या किसी स्थान के नीचे या ऊपर किसी तार की स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा जिसे खोदने या काटने के लिए वह प्राधिकृत है यदि ऐसे पाइप या तार से इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप किए जाने की संभावना है ; और कोई व्यक्ति यथा उपरोक्त ऐसे किसी स्थान के नीचे या ऊपर किसी अनुज्ञप्तिधारी की किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म की स्थिति मे परिवर्तन कर सकेगा यदि ऐसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म से उसमें निहित किन्हीं शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में हस्तक्षेप करने की संभावना हो ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी या परिवर्तन करने का इच्छुक अन्य व्यक्ति जब तक कि अन्यथा तयपाई नहीं होती है, यथास्थिति पाइप, तार, विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म के लिए तत्समय हकदार व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में "स्वामी" कहा गया है) पर परिवर्तन के प्रारंभ करने के कम से कम एक मास पूर्व लिखित रूप में सूचना की तामील करेगा जिसमें प्रस्तावित संकर्म के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर उसके सेक्शन और रेखाचित्र के साथ प्रस्तावित परिवर्तन का वर्णन किया जाएगा और जो किसी भी दशा में उर्ध्वाधर एक इंच से आठ फीट तक और आड़े रूप में सोलह इंच से मील से लघुत्तर नहीं होगा ; और

जिसमें वह समय जब यह प्रारंभ किया जाना है संसूचित किया जाएगा और तत्पश्चात् उसके संबंध में ऐसी और सूचना देगा जैसी स्वामी वांछा करे ।

(3) स्वामी सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर सेक्शन और रेखाचित्र के संबंध में इस प्रभाव की, कि सूचना के पश्चात् सेक्सन या रेखाचित्र के संबंध में उद्‌भूत होने वाला कोई प्रश्न जब तक कि करार द्वारा तय नहीं हो जाता है समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा, और तदोपरांत मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा, एक अध्यपेक्षा की प्रचालक पर तामील कर सकेगा ।

(4) समुचित आयोग, जिसको उपनियम (3) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, ऐसे कर्तव्यों और बाध्यताओं को ध्यान में रखेगा जिनके अधीन स्वामी है और प्रचालक से कोई अस्थायी या अन्य संकर्म निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे कि यथासाध्य उसके संबंध में किसी हस्तक्षेप को रोका जा सके ।

(5) जहां समयसीमा के भीतर उपनियम (3) के अधीन प्रचालक पर कोई अध्यपेक्षा की तामील नहीं की जाती है या जहां ऐसी कोई अध्यपेक्षा की तामील की गई है और मामला करार द्वारा तय हो गया है या समुचित आयोग द्वारा अवधारित कर दिया गया है वहां परिवर्तन समुचित आयोग द्वारा स्वीकृत या अवधारित किसी प्रतिकर के संदाय के पश्चात् या सुनिश्चित करने के पश्चात् सूचना, सेक्सन और रेखाचित्र के अनुसार निष्पादित किया जा सकेगा और जो ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए हो सकेगा जैसा पक्षकारों के बीच तयपाई हुई हो या जैसा समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया गया हो ।

(6) जहां परिवर्तन करने का इच्छुक प्रचालक इन उपबंधों के किसी उपबंध की पालना में व्यतिक्रम करता है वहां वह उसके कारण द्वारा उपगत किसी हानि या नुकसानी के लिए संपूर्ण प्रतिकर का

संदाय करेगा और जहां ऐसे प्रतिकर की रकम के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है वहां मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(7) जहां स्वामी या अधिभोगी स्वयं कतिपय संकर्म करना चाहता है,—

(i) वहां वह पाइपों या तारों का परिवर्तन करने के इच्छुक प्रचालक जो परिवर्तन प्रारंभ करने का हकदार है, पर इस भाव के एक लिखित कथन की कम से कम दस दिन पूर्व तामील कर सकेगा कि वह स्वयं परिवर्तन निष्पादित करना चाहता है और प्रचालक से किन्हीं ऐसे व्ययों के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा जो तयपाई गई हो या करार के व्यतिक्रम में समुचित आयोग द्वारा अवधारित की जा सके ;

(ii) जहां खंड (i) के अधीन प्रचालक पर एक कथन की तामील की गई है वहां वह परिवर्तन का निष्पादन प्रारंभ करने के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व ऐसी प्रतिभूति देगा और वह समय जब परिवर्तन प्रारंभ करना अपेक्षित है और वह रीति जिसमें वह किया जाना अपेक्षित है संसूचित करते हुए लिखित रूप में सूचना की तामील स्वामी पर करेगा ; और तदोपरांत स्वामी प्रचालक द्वारा यथा अपेक्षित परिवर्तन निष्पादित करने की कार्यवाही कर सकेगा ;

(iii) जहां स्वामी अनुपालना करने से इंकार करता है या उस समय के भीतर और खंड (ii) के अधीन उस पर तामील की गई किसी सूचना द्वारा विहित रीति में सूचना की पालना नहीं करता है वहां प्रचालक स्वयं परिवर्तन निष्पादित कर सकेगा ;

(iv) खंड (ii) के अधीन प्रचालक द्वारा उस पर तामील की गई किसी सूचना की अनुपालना करने में स्वामी द्वारा उपगत सभी व्यय उसके द्वारा प्रचालक से वसूल किए जा सकेंगे ।

8. समुचित सरकार, अनुज्ञप्तिधारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मरम्मत न किए जाने योग्य संकर्म:- अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मरम्मत न किए जाने योग्य किसी मार्ग को केवल उस व्यक्ति की लिखित सहमति से ही खोदा या तोड़ा जाएगा जिसके द्वारा उस मार्ग की मरम्मत की जाती है या समुचित सरकार की लिखित सहमति से :

परंतु यह कि समुचित सरकार यथा उपरोक्त कोई ऐसी सहमति तब तक नहीं देगी जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी ने विज्ञापन द्वारा सूचना नहीं दे गई हो या अन्यथा जैसा वह सरकार निदेश करे और ऐसी अवधि के भीतर जो वह सरकार इस निमित्त उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए नियत करे और जब तक कि सूचना के अनुसार प्राप्त सभी अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर उस सरकार द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो ।

9. मार्गों, रेलपथों, सीवर, नालियों या सुरंगों पर कार्य करने से संबंधित बाड़ लगाने, रक्षा करने, प्रकाश करने और अन्य सुरक्षा उपायों तथा उनके तुरंत पुनः स्थापन के लिए प्रक्रिया :-

(1) जहां इन नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई व्यक्ति किसी मार्ग, रेलपथ या ट्रामपथ की भूमि और पटरी को खोदता या तोड़ता है, वहां वह-

(क) खोदे गए और तोड़े गए भाग पर तुरंत बाड़ लगवाएगा और रक्षा करवाएगा तथा चेतावनी बोर्ड लगवाएगा ;

(ख) सूर्य छिपने से पूर्व यात्रियों को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त प्रकाश स्थापित करेगा और खोदे गए या तोड़े गए भाग के सामने या उसके निकट सूर्य निकलने तक बनाए रखेगा ;

(ग) यातायात के सुचारु रूप से आने जाने के लिए यथोचित इंतजाम करेगा ;

(घ) मैदान को समतल करेगा, भूमि या पटरी को या खोदी गई या तोड़ी गई सीवर, नाली या सुरंग सभी को यथोचित गति से पुनःस्थापित करेगा और ठीक करेगा तथा ऐसे खोदे जाने या तोड़े जाने से उत्पन्न मलबे को हटवाएगा ; और

(ङ) भूमि या पटरी को पुनःस्थापित करने या ठीक करने के पश्चात् या तोड़ी गई या खोदी गई सीवर, नाली या सुरंग की तीन मास तक और ऐसी और अवधि के लिए जो नौ मास से अधिक नहीं होगी जिसके दौरान धँसाव जारी रहता है अच्छी तरह मरम्मत करेगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उपबंधों में से किसी उपबंध की पालना करने में असफल रहता है वहां जिसके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है उस मार्ग, रेलपथ, ट्रामपथ, सीवर, नाली या सुरंग का नियंत्रण या प्रबंध करने वाला व्यक्ति उस कार्य को निष्पादित करवा सकेगा जिसे करने में व्यतिक्रमी ने विलंब किया है या निष्पादित करने से छोड़ दिया है और ऐसे निष्पादन में उपगत व्ययों को उससे वसूल कर सकेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन उपगत व्ययों की रकम के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है वहां मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

10. लोक न्यूसेंस पर्यावरणीय क्षति और ऐसे संकर्म द्वारा लोक और प्राइवेट संपत्ति के अनावश्यक नुकसान को बचाना -- अनुज्ञप्तिधारी संकर्म करते समय सुनिश्चित करेगा कि ऐसा संकर्म लोक न्यूसेंस, पर्यावरणीय क्षति और लोक या प्राइवेट संपत्ति को अनावश्यक नुकसान नहीं करता है ।

11.किसी रेलपथ, ट्रामपथ जलमार्ग, आदि के पुनः स्थापन के लिए रकम जमा कराने की रीति :- अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन रेलपथ, ट्रामपथ, जलमार्ग आदि के पुनःस्थापन के लिए संबद्ध संकर्म के रखरखाव के भारसाधक अधिकारी के पक्ष में मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से इन नियमों के अधीन राशि जमा कराएगा ।

12. ऐसे संकर्म द्वारा प्रभावित संपत्ति के पुनःस्थापन और उसके रखरखाव की रीति :- अनुज्ञप्तिधारी संकर्म द्वारा प्रभावित संपति का पुनःस्थापन करेगा और एक मास तक उसका आवश्यक रखरखाव करेगा ।

13. प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर का अवधारण और संदाय :- (1) जहां अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के किसी उपबंध के अनुपालन में व्यतिक्रम करता है वहां वह यदि संबद्ध पक्षकारों के बीच पारस्परिक तयपाई नहीं हो पाती है तो उसके कारण द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उपगत किसी हानि या नुकसानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अवधारित संपूर्ण प्रतिकर का संदाय करेगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम के संबंध में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है वहां मामला समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

14. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय प्रतिकर के जमा करने और प्रतिभूति देने के लिए प्रक्रिया :- (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय प्रतिकर की रकम मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी ।

(2) इन नियमों के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति जैसा कि समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में या किसी अन्य रूप में होगी ।

15. समुचित आयोग द्वारा विवाद या मतभेद का अवधारण :- जब इन नियमों के अधीन अवधारण के लिए कोई मामला समुचित आयोग के समक्ष लाया जाता है तब वह मामला तीस दिन की अवधि के भीतर और संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. सूचना आदि की तामील :- जब कभी भी इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई सूचना या संसूचना की तामील करना अपेक्षित हो तब अधिनियम की धारा 171 और तद्धीन बनाए गए नियमो के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

[फा. सं. 23/8/2004-आर एण्ड आर]

यू. एन. पंजियार, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (2) of Section 176 read with Sub-section (2) of Section 67 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regarding the works of licensees, namely :—

1. Short title and commencement .– (1) These rules may be called the Works of Licensees Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "The Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "occupier" of any building or land means a person in lawful occupation of that building or land.

(2) All other words and expression used herein and not defined in these rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Licensee to carry out works.- (1) A licensee may –

(a) carry out works, lay down or place any electric supply line or other works in, through, or against, any building, or on, over or under any land whereon, whereover or whereunder any electric supply-line or works has not already been lawfully laid down or placed by such licensee, with the prior consent of the owner or occupier of any building or land;

(b) fix any support of overhead line or any stay or strut required for the purpose of securing in position any support of an overhead line on any building or land or having been so fixed, may alter such support:

Provided that in case where the owner or occupier of the building or land raises objections in respect of works to be carried out under this rule, the licensee shall obtain permission in writing from the District Magistrate or the Commissioner of Police or any other officer authorised by the State Government in this behalf, for carrying out the works:

Provided further that if at any time, the owner or occupier of any building or land on which any works have been carried out or any support of an overhead line, stay or strut has been fixed shows sufficient cause, the District Magistrate or the Commissioner of Police, or the officer authorised may by order in writing direct for any such works, support, stay or strut to be removed or altered.

(2) When making an order under sub-rule (1), the District Magistrate or the Commissioner of Police or the officer so authorised, as the case may be, shall fix , after considering the representations of the concerned persons ,if any, the amount of compensation or of annual rent, or of both, which should in his opinion be paid by the licensee to the owner or occupier.

(3) Every order made by a District Magistrate or a Commissioner of Police or an authorised officer under sub-rule (1) shall be subject to revision by the Appropriate Commission.

(4) Nothing contained in this rule shall effect the powers conferred upon any licensee under section 164 of the Act.

4. Works affecting streets, railway, tramway, canal or waterway.- (1)Where the exercise of any of the powers of a licensee in relation to the execution of any works involves the placing of any works in, under, over, along or across any street, part of a street, railway, tramway, canal or waterway, the licensee shall serve upon the person responsible for the repair of the street or part of a street (hereinafter referred to as "the repairing authority") or upon the person for the time being entitled to work the railway, tramway, canal or waterway (hereinafter referred to as "works authority"), as the case may be, a notice in writing, not less than 15 days before commencing the execution of the works describing the proposed works, together with a section and plan thereof on a scale sufficiently large to show clearly the details of the proposed works, and not in any case smaller than one inch to eight feet vertically and sixteen inches to the mile horizontally and intimating the manner in which, and the time at which, it is proposed to interfere with or alter any existing works, and shall, upon being required to do so by the repairing authority or works authority, as the case may be, from time to time give such further information in relation thereto as may be desired.

(2) If the repairing authority intimates to the licensee that it disapproves of such works, section or plan giving reasons for disapproval, or approves thereof subject to amendment, the licensee may, unless settled by an agreement, appeal to the Appropriate Commission within one week of receiving such intimation, whose decision, after considering the reasons given by the repairing authority for its action, shall be final.

(3) If the repairing authority fails to give notice in writing of its approval or disapproval to the licensee within 15 days of the receipt of the notice, it shall be deemed to have approved of the works, section and plan, and the licensee, after giving not less than forty-eight hours' notice in writing to the repairing authority, may proceed to carry out the works in accordance with the notice and the section and plan served under sub-rule(1);

(4) If the works authority disapproves of such works, section or plan giving reasons for disapproval, or approves thereof subject to amendment, he may, within 15 days after the service of the notice under sub-rule (1) of rule 5, serve a requisition upon the licensee demanding that any question in relation to the works or to compensation, or to the obligations of the works authority to others in respect thereof, shall be determined, unless settled by agreement, by the Appropriate Commission.

(5) Where no requisition has been served by the works authority upon the licensee within the time period provided under sub-rule (4), the works authority shall be deemed to have approved of the works, section and plan, and in that

case, or where after the matter has been determined by the Appropriate Commission, the works may, upon payment or securing of compensation, be executed according to the notice and the section and plan, subject to such modifications as may have been determined by the Appropriate Commission or agreed upon between the parties:

Explanation.-In sub-rules (1) to (5), the word "works" includes a service line in, under, over, along or across a railway even if such line is immediately attached or intended to be immediately attached to a distributing main, but does not include any other service line so attached or intended to be so attached to a distributing main, or works which consist of the repair, renewal or amendment of existing works of which the character or position is not to be altered.

(6) Where the works to be executed consist of the laying of any underground service line immediately attached, or intended to be immediately attached, to a distributing main, the licensee shall give to the repairing authority or the works authority, as the case may be, not less than forty-eight hours' notice in writing of his intention to execute such works;

(7) Where the works to be executed consist of the repair, renewal or amendment of existing works of which the character or position is not to be altered, the licensee shall, except in cases of emergency, give to the repairing authority, or to the works authority, as the case may be, not less than forty-eight hours' notice in writing of his intention to execute such works, and, on the expiry of such notice, such works shall be commenced forthwith and shall be carried on with all reasonable despatch, and, if possible, both by day and by night until completed.

5. Repairs and works during emergency.- The licensee may, in case of emergency due to the breakdown of an underground electric supply-line, after informing the repairing authority or the works authority, as the case may be, of his intention to do so, place an overhead line without complying with the provisions of rule 4 :

Provided that such overhead line shall be used only until the defect in the underground electric supply-line can be made good, and in no case (unless with the written consent of the repairing authority, works authority or occupier as the case may be) for a period exceeding six weeks, and shall be removed as soon as may be after such defect is removed.

6. Procedure for carrying out other works near sewers, pipes or other electric lines or works.- (1) The licensee or any duly authorised person, as the case may be (hereinafter in this rule referred to as "the operator"), shall –

(a) where the licensee requires to dig or sink any trench for laying down any new electric supply-lines or other works, near to which any sewer, drain, water-course or work under the control of the State Government or of any local authority, or any pipe, syphon, electric supply-line or other work belonging to any duly authorised person, has been lawfully placed, or

(b) where any duly authorised person is required to dig or sink any trench for laying down or constructing any new pipes or other works, near to which any electric supply-lines or works of a licensee have been lawfully placed;

unless it is otherwise agreed upon between the parties interested or in case of sudden emergency, give to the State Government or local authority, or to such duly authorized person or to the licensee, as the case may be (hereinafter in this Rule referred to as "the owner"), not less than forty-eight hours' notice in writing before commencing to dig or sink the trench and the owner shall have the right to be present during the execution of the work, which shall be executed to the reasonable satisfaction of the owner.

(2) Where the operator finds it necessary to undermine, but not to alter, the position of any pipe, electric supply-line or work, he shall support it in position during the execution of the work, and before completion shall provide a suitable and proper foundation for it where so undermined.

(3) Where the operator (being the licensee) lays any electric supply-line across, or so as to be liable to touch, any pipes, lines or service-pipes or service-lines belonging to any duly authorised person or to any person supplying, transmitting or using energy under the Act, he shall not, except with the written consent of such person and in accordance with the regulations on safety as specified under section 53 of the Act, lay his electric supply-lines so as to come into contact with any such pipes, lines or service-pipes or service-lines.

(4) Where the operator makes default in complying with any of the provisions of this rule, he shall make full compensation for any loss or damage incurred by reason thereof.

(5) Where any difference or dispute arises under this rule, the matter shall be determined by the Appropriate Commission.

(6) Where the licensee is a local authority, the references in this rule to the local authority and to sewers, drains, water-courses or works under its control shall not apply.

7. Alteration of the position of pipes, electric line, etc.-(1) Any licensee may alter the position of any pipe (not forming part of a local authority's main sewer), or of any wire under or over any place which he is authorised to open or break up, if such pipe or wire is likely to interfere with the exercise of his powers under the Act; and any person may alter the position of any electric supply-lines or works of a licensee under or over any such place as aforesaid, if such electric supply-lines or works are likely to interfere with the lawful exercise of any powers vested in him.

(2) The licensee or other person desiring to make the alteration, unless otherwise agreed, shall, not less than one month before commencing any alteration, serve upon the person for the time being entitled to the pipe, wire, electric supply- lines or works, as the case may be (hereinafter in this rule referred to as "the owner"), a notice in writing, describing the proposed alteration,